LOK SABHA

Tuesday, April 8, 1975/Chaitra 18, 1897 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*].

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्रमिकों तथा निर्धन लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता तथा परामर्श

+

*544. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक विशेष विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की है कि श्रमिकों तथा निर्धन लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता तथा परामर्श देने के बारे में सांविधिक उपबन्ध होना चाहिये ;

(ख) सरकार को यह प्रतिवेदन किस तारीख को प्राप्त हुआ तथा उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसा उपबन्ध इस बीच किया जा चुका है ;

(ग) इस सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय से प्राप्त नोट का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों की अलग-अलग प्रतिक्रिया क्या है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (DR. SAROJINI MAHISHI). (a) Yes, Sir.

(b) On 27th May, 1973. The recommendations of the Committee are still under examination.

(c) and (d) The question of Legal aid to workmen was one of the items in the agenda of the 25th Session of the Labour Minister's Conference held on the 27th & 28th September, 1974. The principle of legal aid to workers was acceptable to all and it was decided to constitute a small Official Committee to consider various issues relating to the subject and to work out details. The Committee is being constituted by the Ministry of Labour and would start functioning as soon as State Governments etc. nominate their representatives thereon.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, गरीबों को, विशेषकर मजदूरों को, कानूनी सहायता देने का प्रश्न कई सालों से सरकार के विचाराधीन है। यह विशेषज्ञ समिति 1973 में नियुक्त हुई थी। अब फिर एक कमेटी नियुक्त करने का सरकार इरादा कर रही है। क्या मामला कमेटियों पर टालने का विचार है, या सरकार सचमुच में गरीबों को कानूनी सहायता देने के बारे में कोई निर्णय लेने जा रही है ?

डा० सरोजिनी महिषी : कमेटियों पर टालने का विचार नहीं है, सचमुच में गरीबों को मदद करने का सरकार का विचार है। और माननीय सदस्य ने जो कहा कि 1973 में कमेटी नियुक्त हो गई थी, यह सूचना गलत है। कमेटी 1972 में नियुक्त हुई थी, 1973 में उन्होंने रिपोर्ट दे दी और उसके बाद एक साल में वह रिपोर्ट प्रिन्ट हुई। दूसरी भी एक आफिशियल कमेटी नियुक्त हो गई थी उसने भी रिपोर्ट दे दी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदया ने उत्तर देकर सरकार की स्थिति और खराब कर दी है। मैंने कहा था कमेटी बनी 1973 में। उन्होंने कहा कि 1972 में बनी, उसकी सिफारिश 1973 में आयी और वह 1974 में छपी। आज 1975 है। एक और कमेटी बन रही है। यह कमेटी जल्दी से जल्दी बने इसके बारे में विचार करने के लिये कमेटी कब बनने वाली है ?

डा० सरोजिनी महिषी : मैंने कहा कि माननीय सदस्य के पास जो सूचना थी वह गलत थी इसलिये उनकी सूचना को ठीक किया। यह तो वास्तविक स्थिति है कि 1972 में कमेटी बनी थी, 1973 मे उसने रिपोर्ट दी और 1974 तक उसकी प्रिंटिंग हुई थी और इसके बीच में एक आफिशियल कमेटी नियुक्त हो गई थी उन्होंने भी रिपोर्ट दे दी। यह है ला मिनिस्ट्री के अन्तर्गत। लेकिन अब जो विचार है वह लेबर मिनिस्ट्री के अन्तर्गत है। उनका विचार लेबर ओरियेन्टेड है, इनका लीगल ओरिएन्टेड है। इधर भी सोच रहे है इसके बारे में, और स्टेट गवर्नमेंटस से जब रिप्रेजेन्टेटिव्ज नोमिनेट हो जायेंगे तब उनके बारे में विचार विमर्श शुरू हो जायेगा।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह जो नमूने का जवाब आया यह कोई पहली बार नही है। जब वितरण का ठीक प्रबन्ध करने के लिये आरिया कमेटी की रिपोर्ट के लिये मेरा सवाल था तो उसका भी जवाब आया था कि विचाराधीन है। फिर सुखमय चक्रवर्ती कमेटी के बारे में जब सवाल आया तो उसका भी जवाब आया कि विचाराधीन है, और फिर गरीबों को कानूनी सहायता देने के बारे में 1973 में सिफारिश आने के बाद आज 1975 है। इतने विलम्ब के लिये सरकार को कुछ तो दुःख होना चाहिये। जब आपने गरीबों को कानूनी सहायता देने के बारे में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है तो ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहता हूं कि कोई एक निश्चित सीमा विधि मंत्रालय और श्रम मंत्रालय ने मिलकर बांधी है ? यदि हां, तो वह सीमा क्या है ?

डा० सरोजिनी महिषी : यह जो माननीय सदस्य ने कहा कि देर के लिए सरकार को दुःख होना चाहिये, तो दुःख होता है। लेकिन देरी को काटने के लिये कोशिश भी की जा रही है इसके साथ-साथ लेबर मिनिस्ट्री में कमेटी बन रही है और सरकार इस बारे में चुप नहीं बैठी है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजा था जवाब के लिये। उनकी तरफ से अभी प्रतिक्रिया नही आयी है केवल उन्होने कहा है कि मामला अन्डर ऐग्जामिनेशन है। एक स्टेट के सिवाय किसी दूसरी स्टेट ने इस जवाब के सिवाय दूसरा जवाब नही दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तो कहा था कि इसकी जरूरत शायद नहीं मालूम होती है। हम उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके बाद कान्फ्रेंस बुलायी जायेगी फिर कार्यान्वित करने के लिये कदम उठाये जायेंगे।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : कोई सीमा बांधी है समय की दोनो इन मंत्रालयों ने मिल कर ? तभी काम होगा, वरना नही होगा।

डा० सरोजिनी महिषी : सीमा बांधना बहुत मुश्किल है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स की प्रतिक्रिया आनी चाहिये। इसीलिये जब स्टेट गवर्नमेंट मे देर हो जाती है तब इधर भी देर हो जाती है। फिर भी ऐंट्री-नम्बर 2, 20, 23, 24, 26 कानकरेंट लिस्ट की और 77, 78 यूनियन लिस्ट के अन्तर्गत यह कानून बन सकते हैं। अगर जवाब नही आयेगा तो कुछ न कुछ उस दिशा मे कदम उठाये जायेंगे।

SHRI H. K. L. BHAGAT: The matter is very important and I must say that the reply is highly unsatisfactory. I should like to know from the hon. Minister how long will it take to get the reaction? Why cannot the Central Ministry of Law call a meeting of the State Ministers and the Central Labour Ministry and take a decision instead of leaving the matter to correspondence for such a long time? This is the feeling in the country. It should not be taken up lightly. I should like to know whether the Central Law Ministry will take steps to hold such a con-

ference and if so when such a conference will take place?

डा० सरोजिनी महिषी : अभी पिछले जवाब में मैंने कहा है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस स्टेट सबजेक्ट है उन्ही के द्वारा हमको करना पड़ता है और उसके साथ-साथ स्टेट गवर्नमेंट्स के जवाब के लिये भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है ।

श्री एच० के० एल० भगत उनको बुला कर कानफरेंस कीजिये ।

डा० सरोजिनी महिषी · मैंने कहा कि उनको बुलाकर कोशिश की जानी है । और यह जो लीगल एड है इसका अर्थ सचमुच यह है कि ·

It is one of the social security measures, social service oriented programme

और देशों मे भी इसी ढग का है और हमारे देश मे भी इसी ढग मे विचार किया जाता है । सोशल सर्विस के साथ-साथ ओल्ड एज पेंशन का प्रश्न है, फेमिली प्लानिंग है, ड्रग ऐडिक्शन को कंट्रोल करना है । इसी ढग का प्रोग्राम इसके साथ सोचा जाता है । इसलिये यह सोशल ओरिएन्टेड प्रोग्राम है और सब स्टेट्स को साथ लेकर आगे चलना पड़ता है ।

SHRI H K. L BHAGAT My question has not been answered, they should call for a conference and discuss it

DR SAROJINI MAHISHI I have answered it in so many words, I said it is going to be done shortly I have said so.

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय आये दिन निर्धन श्रमिकों और आदिवासी हरिजनों के ऊपर बड़े जबरदस्त तरीके से आक्रमण होते रहते हैं और यह चीज सरकार की जानकारी में है । और उन पर ज्यादा आक्रमण इसलिये होता है कि वे बेचारे गरीब हैं, वह न्यायालयों में जाकर धन खर्च करके कुछ न्याय नही पा सकते हैं । इस बात को ध्यान मे रख करके कि सरकार लम्बे अर्से से राज्य सरकार, श्रम मंत्रालय और विधि मंत्रालय के चक्कर मे पड़ कर के इसमे विलम्ब कर रही है, मैं सरकार से जानना चाहता हू कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये और इस बात को देखते हुये कि इसकी वाछनीयता, इसकी आवश्यकता को आप भी महसूस करती हैं, कितने दिनो के अन्दर इसको कार्यान्वित करने का आप का विचार है ?

डा० सरोजिनी महिषी : निर्दिष्ट समय बताना तो इस समय मुश्किल है क्योंकि यह सोशल सर्विस ओरियेन्टेड प्रोग्राम है, लेकिन इसके बारे में यह जरूर कह सकते हैं कि आदिम जातियों और हरिजनों के लिए सहूलियतें अभी भी है और हरेक स्टेट गवर्नमेंट ने इनके लिये अलग से पैसा रखा है ।

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा · उनको लीगल एड समय पर नही मिलती है और सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि समय पर उनको लीगल एड क्यों नहीं मिलती है क्योंकि इस तरह के अनेक मामले है ।

डा० सरोजिनी महिषी . इसमे दो बाते है ।

श्री सरजू पाडेय : इसमे मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय · इस समय व्यवस्था का प्रश्न नही उठता ।

श्री सरजू पांडे : मंत्री जी ने सफेद झूठ बोला है । (व्यवधान)

डा० सरोजिनी महिषी · इस में दो बाते है । लीगल एड के लिए कुछ रकम रखी गई है, यह एक बात है और अगर रखी गई है तो वह किस ढग से खर्च हुई है, कितने बेनीफिशियेरीज को फायदा पहुंचा है और इसमें प्रचार काफी हुआ है या नही, ये दूसरी बात हैं ।

इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहती हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने लीगल एड के लिए कुछ पैसा रखा था लेकिन प्रचार अधिक न होने के कारण वह पूरा खर्च नहीं हुआ। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बहुत कम रकम रखी गई थी लेकिन उस का भी ढंग से इस्तेमाल नहीं हुआ। माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि समय पर मदद नहीं मिलती है, मैं कबूल करती हूं कि समय पर मदद न मिली हो लेकिन इसके साथ ही यह भी बात है कि हालांकि बहुत कम अमाउन्ट इसके लिए था लेकिन वह भी खर्च नहीं हुआ। आप को मैं यह इन्फार्मेशन देना चाहती हूं कि राजस्थान में 11 लोगों को मदद मिली है पूरी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में और पंजाब में 121 लोगों को मदद मिली, उड़ीसा में 924 लोगों को और हरियाणा में 487 लोगों को मदद मिली है। इससे मालूम होता है कि इसका प्रचार नहीं हुआ है।

श्री सरजू पांडे : उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में क्या पोजीशन है ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : मध्य प्रदेश में कितनों को मिली है ?

अध्यक्ष महोदय : जो प्रश्न था उसका तो उत्तर दे दिया।

श्री सरजू पांडे : अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जो प्रश्न का उत्तर है, उसमें जो प्रश्न को कवर करने वाली चीज थी, वह तो हो गई। अब आप इसमें पड़ गये कि राजस्थान में कितना हुआ, मध्य प्रदेश में कितना हुआ और दूसरी जगह कितना हुआ, इसका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

श्री राम सिंह भाई : श्रीमन्, श्रमिकों का जहां तक सवाल है, बम्बई इन्डस्ट्रियल एक्ट में और मध्यप्रदेश इन्डस्ट्रियल एक्ट में मजदूरों को कानूनी सहायता देने का प्रावधान है। क्या इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में यह सुविधा प्रोवाइड की जा सकती है ?

डा० सरोजिनी महिषी : जस्टिस कृष्णाय्यर कमेटी जो बनी थी, उस ने इन्डस्ट्रियल वर्कर्स को मदद देने के लिए चैप्टर 8 में इन के बारे में रिकमेंडेशन्स दी हैं। उन सुझावों को देखना है कि हम किस तरह से उनको कार्यान्वित कर सकते हैं। इस के बारे में अभी सोच-विचार चल रहा है और अभी उस के विषय में बताना सम्भव नहीं है कि किन-किन लोगों को यह सुविधा मिलनी चाहिए और किस ढंग से मिलनी चाहिए। चैप्टर 8 में कमेटी ने जो अपने सुझाव दिये हैं उनमें लिटिगेशन फंड, पैनल आफ लायर्स नियुक्त करने और इंस्पेक्टिव आफ वेजेज मजदूरों को सुविधा मिलनी चाहिए आदि उनकी रिकमेंडेशन्स हैं। लेबर मिनिस्ट्री उनके सुझावों की जांच कर रही है और उन्होंने कहा है कि इसकी रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी।

श्री मधु लिमये : मजदूरों को कानूनी सहायता दो प्रकार से दी जा सकती है। एक तो यह है कि उनको वकील आदि की सुविधा दी जाए और दूसरा यह है कि बिना मतलब जो अपील वगैरह से सरकार मामलों ले जाती है जैसे कि रेलवे का मामला था वह न ले जाए। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कानून मंत्रालय सरकार के विभिन्न विभागों को यह सलाह देगा कि जिन मामलों में मजदूरों का सम्बन्ध है, ऐसे मामलों को बिना मतलब लिटिगेशन में ले जाकर उन लोगों को न फंसाया जाए। मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ी कानूनी सहायता होगी।

डा० सरोजिनी महिषी : जस्टिस कृष्णाय्यर ने अपनी रिपोर्ट के आठवें चैप्टर में जो सुझाव दिए हैं, उन में इस के बारे में भी उन्होंने बताया है कि पब्लिक सेक्टर इन्डस्ट्रीज में वर्कर्स के पक्ष में अगर कोर्ट का निर्णय हो

जाता हूँ, तो उसके खिलाफ़ सरकार को अपील में नहीं जाना चाहिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : रोज जा रहा है रेलवे मंत्रालय मजदूरों के खिलाफ ।

डा० सरोजिनी महिषी : मैंने यह बात कही है कि यह विचाराधीन है । इस के बारे में अभी पूरा निर्णय नहीं लिया गया है (व्यवधान) ....

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : मोहतरम स्पीकर साहब, आप के जरिये मैं मोहतरमा वजीर साहिबा से एक बात जानना चाहूंगा कि कानून की सूरत में क्रिमिनल केसेज के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में ए०पी०पी० रहता है और सिविल सूट्स के लिए ए०जी०पी० रहता है और उनको केसेज करने के लिए सरकार की तरफ़ से रेम्युनरेशन दिया जाता है । और क्रिमिनल केसेज में तो फिक्स्ड रेम्युनरेशन होता है लेकिन सिविल सूट्स में सूट के वेल्यूएशन पर उन को रेम्युनरेशन दिया जाता है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, हरिजनों के लिए और आदिवासियों के लिए ऐसी डाइरेक्शन आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से दी जा सकती है कि वे लोग इन गरीबों के केसेज को फाइट करें ?

डा० सरोजिनी महिषी : क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसके लिए सुविधा है और मेरिट्स आफ़ दि केस में जाकर कोर्ट अगर समझती है कि सहायता दी जानी चाहिए, तो देते हैं लेकिन सिविल सूट्स में इस तरह की सहायता देने का अभी कोई प्रावधान नहीं है । अभी जो सिविल प्रोसीजर कोड को एमेंड करने के लिए ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी बैठी हुई है, वह इसके बारे में भी एविडेंस कलेक्ट कर रही है और लीगल एड देने के बारे में विचार-विमर्श चल रहा है । दूसरी तरफ़ एडवोकेट्स एक्ट में सेक्शन 6 और 7 के तहत इस तरह का फंड बना कर लीगल एड दे सकते हैं । इस तरह से लीगल एड का प्रोवीजन है लेकिन कहां तक यह किया जा रहा है, हम इस समय नहीं बता सकते । क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार किया जा रहा है और सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में इसके लिए एविडेंस इकट्ठा की जा रही है । माननीय सदस्य ने जो वीकर सेक्शन के लिए लीगल एड देने की बात कही है, यह तो एक बहुत कम्प्रीहेंसिव चीज है और इसके बारे में विचार कर रहे हैं ।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: You know that thousands of share-croppers have been evicted from their lands in the different States and they are not getting any legal assistance from the State Governments. I would like to know what steps Government is going to take to protect them.

डा० सरोजिनी महिषी : इसके लिए कानून जो है उसी के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट एक्शन ले रही है । जो लीगल एड की बात है, वह एक कम्प्रीहेंसिव स्कीम है और कृष्णाय्यर कमेटी ने 249 रिकमेंडेशन्स की हैं, जिनके तीन भाग किये गये हैं । उनको देख रहे हैं कि किस तरह से कितनी रिकमेंडेशन्स को इम्पलीमेंट कर सकते हैं और क्या एगजिस्टिंग ला में एमेंडमेंट करके उनको इम्पलीमेंट कर सकते हैं । तीसरा भाग है कम्प्रिहेंसिव लैजिसलेशन फार लीगल एड । उस पर रिकमेंडेशन तो हो गई है लेकिन अभी वह शुरू नहीं हुआ है । दूसरे देशों में भी हम देखते हैं कि ऐसा ही हुआ है । इंग्लैंड में 1949 में हुई थी लेकिन वहां भी 1959 में जाकर यह चीज मुमकिन हुई । यहां भी यह हो जाएगा ।

श्री टी० सोहनलाल : सरकार ने कुछ गरीब लोगों को जमीनें दी हैं । उन जमीनों के ऊपर नाजायज तौर पर पटवारियों से मिल कर कुछ लोगों ने दावे कर दिए हैं और इसलिए किये हैं कि इन गरीब लोगों के पास कोर्ट में जाने के लिए पैसा चूंकि नहीं है इसलिए ये इनकी पैरवी नहीं कर पाएंगे

और इस तरह से ये केस उनके हक में चले जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे लोगों को कानूनी मदद देने की सोच रही है?

अध्यक्ष महोदय : कहां से कहा आप चले गए हैं।

श्री टी० सोहनलाल : गावों में लोग रहते हैं, लेबर करते हैं। उनको सरकार खुद जमीन देती है। मैं आपको केसिस बता सकता हूं कि उन जमीनों पर जबर्दस्ती कब्जा कर के दावे कर दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि यह जमीन हरिजन की नहीं है। ये लोग अदालतों में जा नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। क्या यह सरकार की ड्यूटी नहीं है कि उन को मदद दे, उनकी कानूनी सहायता करे?

डा० सरोजिनी महिषी : मैंने इसका कम्प्रिहेंसिव जवाब दे दिया है। कानूनी आप एक्शन जो है वह स्टेट गवर्नमेंट को लेना चाहिए। जमीन उनको वह दे देती है तो ये लोग उसमें खेती कर सकें, उसका कब्जा उनको मिल सके, यह देखना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। अभी न.गल एड वाली बात कार्यान्वित नहीं हुई है। जो सुविधा है वह सी आर पी सी, सी पी सी और एडवोकेट्स एक्ट के नीचे है। जो कम्प्रिहेंसिव लीगल एड स्कीम है वह आने वाली है।

अध्यक्ष महोदय : आप जो उत्तर देती हैं लम्बा चौड़ा उसमें दस और मेम्बर खड़े हो जाते हैं। जिस चीज का जवाब पूछा जाए उसी का दिया करें। आप तीन चार और बातें बता देती हैं। उससे दस मेम्बर और खड़े हो जाते हैं।

श्री सरजू पांडे : पूरा हाउस इस सवाल पर एजिटेटिड है। देश के गरीब लोगों से सम्बन्धित यह प्रश्न है। जो जवाब इसका दिया गया है उससे किसी को सन्तोष नहीं हुआ है, मुझे भी नहीं हुआ है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इम्पलीमेंट नहीं होती हैं। जानना चाहता हूं कि अस्थायी तौर पर सरकार कोई कदम उठा रही है ताकि गरीबों को न्याय मिल सके? अस्थायी तौर पर आप कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं?

डा० सरोजिनी महिषी : गरीबों को न्याय मिल सके इसके लिए सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है। जो सहूलियतें अभी हैं उनको प्रभावी तौर पर इम्प्लिमेंट करना है। नया कानून जो बनने वाला है वह जब बन जाएगा तब उसको कार्यान्वित करने से लोगों को लाभ होगा।

श्री मूल चन्द डागा : चैरिटी बिगिन्स एट होम। आप राज्य सरकारों को बहाना बना देती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यूनियन टैरिटरीज में आपने क्या किया है? आप राज्यों की बात न करें। आप यही बता दें कि दिल्ली जो कि यूनियन टैरिटरी है उस में आपने क्या किया है?

अध्यक्ष महोदय : कमेटी बनाई है। उस में और हो रहा है। और क्या करे।

This innocent question has taken to much time.

Hindustan Antibiotics Limited

*545. SHRI ANANTRAO PATEL: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether the Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri is running in heavy loss due to the fall in production;

(b) if so, who is responsible for the fall in production, bad management labour trouble or inadequate supply of raw materials; and

(c) what has happened to the production of vitamin 'C' tablets and what is the future of proposed expansion?